



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 39 छोटे कटरे मय भैंस, 03 बडी भैंस व 02 बुलैरो पिकअप नं0 UP-17BT-6347 व तस्करी में प्रयुक्त नं0 HR-69G-5467 बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 39 छोटे कटरे मय भैंस, 03 बडी भैंस व 02 बुलैरो पिकअप नं0 UP-17BT -6347 व तस्करी में प्रयुक्त नं0 HR-69G-5467 बरामद हुए हैं।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 473/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-रिहान पुत्र वकील खान निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-हारून पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-शाकिर पुत्र महबूब निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-अहसान पुत्र यूसूफ निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 39 छोटे कटरे मय भैंस, 03 बड़ी भैंस व 02 बुलैरो पिकअप नं0 UP-17BT - 6347 व तस्करी में प्रयुक्त नं0 HR-69G-5467

घटना स्थल-

दिल्ली देहरादून हाईवे चौकी मवीकलां के पास थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 415 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 816 शौकेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 599 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 84 खेमराज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक-19.07.2026

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 83/26 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2) /109(1) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2026 को थाना बालैनी पर वादी सौरव यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी ग्राम डौलचा, थाना बालैनी, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 03.07.2026 को रास्ते में खड़ी गाड़ी संख्या HR 26 FZ 2936 एवं दो अन्य



अज्ञात वाहनों को हटाने हेतु हॉर्न बजाने पर उक्त वाहनों में सवार लगभग 10-15 अज्ञात व्यक्तियों ने वादी के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से घातक हथियार से फायरिंग भी की गई । मारपीट के दौरान उसका वन प्लस मोबाइल फोन मय सिम तथा ₹60,000 नकद गुम हो गए । घटना के दौरान वादी की पत्नी द्वारा शोर मचाकर बीच-बचाव किए जाने पर आरोपी अपने वाहनों सहित मौके से फरार हो गए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 83/26 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 83/26 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2)/109(1) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित उर्फ अबली पुत्र सुनील निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 देवेन्द्र शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 912 सूरज थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेसनोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 19.07.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 44/26 धारा 316(5)/318(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2026 को थाना चांदीनगर पर वादी गयूर अहमद पुत्र गफूर खां हाल तैनाती अधीक्षक डाकघर, बागपत मंडल, जनपद बागपत ने लिखित



तहरीर दी कि अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत के द्वारा शाखा डाकपाल खट्टा प्रहलादपुर के पद पर कार्य करते हुए शाखा डाकघर खट्टा प्रहलादपुर में संचालित खातों के जमाकर्ताओं से उनके खातों में जमा करने हेतु लगभग 6,76,840/- रुपये की धनराशि प्राप्त की गयी एवं सम्बन्धित खाताधारकों की पासबुकों में जमा पृवष्टि करके शाखा डाकघर की तारीख व मोहर लगाकर पास बुक खाता धारकों को लौटा दी, किन्तु प्राप्त धनराशि को सरकारी हिसाब में न लाकर स्वयं के लिये उक्त धनराशि का दुर्विनियोजन करने लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 44/26 धारा 316(5) 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 44/26 धारा 316(5)/318(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह राजपूत थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-रि0का0 550 अनीश परमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

